IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आत्मरक्षा कौशल के महत्व का अध्ययन

दीपशिखा[1], प्रो० कविता कन्नोजिया[2],
शोधकर्ती,[1] पर्यवेक्षक[2]
समाजशास्त्र विभाग, किशोरी रमन गर्ल्स पी०जी० कॉलेज मथुरा, डॉ. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

सार

लिंग असमानता एक सार्वभौमिक घटना है जिसका सामना मुख्य रूप से छात्रायें करती हैं। किसी भी समाज में छात्र और छात्राओं को समान पुरस्कार नहीं मिलते हैं। हालाँकि, छात्राओं ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन उनकी समस्याएँ बिल्कुल भी कम नहीं हुई हैं। इसके अलावा, वे पहले से कहीं ज्यादा गंभीर समस्याओं का सामना कर रही हैं। यह देखा गया है कि छात्रायें अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें अपने ही परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, दोस्तों, सहकर्मियों आदि द्वारा परेशान और दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें यात्रा करते समय, अपने कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

शब्दकुँजी : गंभीर, सुरक्षित, उत्पीड़न, दुर्व्यवहार।

परिचय–

हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव एक पुरानी घटना है। छात्राओं के साथ भेदभाव किया जाता रहा है और उन्हें जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में दोयम दर्जे का दर्जा दिया जाता रहा है। छात्राओं को जन्म से ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उन्हें जन्म के बाद भी गर्भपात करा दिया जाता है और मार दिया जाता है। किशोरावस्था में ही उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उन्हें बेचा जाता है और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। शादी के बाद, उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाता है, मारा–पीटा जाता है और यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। अगर वे लड़की को जन्म देती हैं तो उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है।

छात्राओं के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएँ हैं–

लैंगिक असमानता :–

समाजशास्त्रीय दृष्टि से लिंग शब्द का तात्पर्य छात्र और छात्राओं की सामाजिक–सांस्कृतिक परिभाषा से है, जिस तरह से समाज छात्र और छात्राओं में अंतर करता है और उन्हें सामाजिक भूमिकाएँ सौंपता है। इस तरह के भेद को छात्राओं की अधीनता को उनकी शारीरिक रचना के कारण मानने की सामान्य प्रवृत्ति से निपटने के लिए पेश किया गया था। सदियों से यह माना जाता रहा है कि समाज में छात्राओं और छात्र को दी जाने वाली अलग–अलग विशेषताएँ, भूमिकाएँ और स्थिति लिंग द्वारा निर्धारित होती हैं, कि वे प्राकृतिक हैं और इसलिए उन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, परिवार और समाज लिंग निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। बेटे के जन्म पर जश्न मनाया जाता है और बेटी के जन्म पर दुख मनाया जाता है। लड़कों को सख्त और मिलनसार होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है; और लड़कियों को घर में रहने और शर्मीली होने के लिए। ये सभी अंतर लिंग भेद हैं और इन्हें समाज द्वारा बनाया गया है। लैंगिक असमानता विकास लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है क्योंकि यह आर्थिक विकास को कम करती है। यह समग्र कल्याण को बाधित करती है क्योंकि छात्राओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी से रोकना पूरे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। भारत समेत कई विकासशील देशों में शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य के मामले में लैंगिक असमानता देखने को मिली है। भारत ने अपने सामाजिक–आर्थिक और धार्मिक प्रथाओं के कारण अपने शुरुआती इतिहास से ही लैंगिक असमानता देखी है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में छात्र और छात्राओं की स्थिति के बीच व्यापक असमानता है।

घरेलू हिंसा :–

वैश्विक स्तर पर, हर तीन में से एक महिला अपने पति, पिता या भाइयों और चाचाओं के हाथों अपने घरों में हिंसा का सामना करती है। घरेलू हिंसा को तब परिभाषित किया जा सकता है जब एक रिश्ते में एक वयस्क हिंसा और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार के माध्यम से दूसरे को नियंत्रित करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग करता है। हालाँकि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पीड़ित महिलाएँ होती हैं। ऐसी हिंसा में बलात्कार और यौन शोषण भी शामिल हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा में मौखिक दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, कारावास और शारीरिक, वित्तीय और व्यक्तिगत संसाधनों से वंचित करना शामिल है। कुछ महिलाओं के लिए भावनात्मक दुर्व्यवहार शारीरिक हमलों से ज्यादा दर्दनाक हो सकता है क्योंकि वे महिलाओं की सुरक्षा और आत्मविश्वास को प्रभावी रूप से कमज़ोर करते हैं। भारत में, घर के भीतर हिंसा संस्कृति, धर्म, वर्ग और जातीयता में सार्वभौमिक है।

छात्राओं के खिलाफ अपराध :–

छात्राओं के खिलाफ अपराध हर मिनट, हर दिन और पूरे साल होते रहते हैं, हालांकि कई ऐसे अपराध दर्ज नहीं होते। बलात्कार आज देश में सबसे तेजी से बढ़ता अपराध है और पूरे भारत में हर घंटे 18 छात्राओं पर किसी न किसी रूप में हमला होता है। पिछले कुछ महीनों में बलात्कार और हमले के मामले चिंताजनक आवृत्ति के साथ सुर्खियों में आए हैं। पीड़ित छात्राओं के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराना एक कठिन काम है, जो उचित एफआईआर दर्ज करने में अनिच्छुक होने के अलावा सबसे असंवेदनशील रवैया अपनाते हैं, जिससे शिकायतकर्ता को और भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जब वह उससे यह स्पष्ट विवरण देने के लिए कहती है कि उसके साथ किस तरह से यौन शोषण किया गया। विभिन्न समस्याओं, उत्पीड़न और भेदभाव के बावजूद छात्राओं ने समय के साथ अपनी योग्यता साबित की है। वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। वे सभी सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो गई हैं और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं और अपने कार्य जीवन और अपने पारिवारिक जीवन के बीच एक सही संतुलन बनाए हुए हैं।

छात्राओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं। हालांकि, बहुत कम छात्रायें इसके बारे में जानती हैं। जो छात्रायें ऐसे अधिकारों के बारे में जानती भी हैं, वे परिवार और समाज से अस्वीकृति के डर से कानूनी सहायता लेने में झिझकती हैं। प्रस्तुत अध्ययन कॉलेज जाने वाली लड़कियों के सामने आने वाली समस्याओं पर केंद्रित है। अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या लड़कियां कमजोर परिस्थितियों में खुद का बचाव करने में सक्षम हैं और उनकी सुरक्षा और उनके आत्मरक्षा कौशल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए।

उद्देश्य –

1. कॉलेज की छात्राओं के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
2. छात्राओं की ताकत और कमजोरियों का अध्ययन करना।
3. छात्राओं की आत्म–सुरक्षा और आत्मरक्षा की क्षमता का पता लगाना।
4. छात्राओं की सुरक्षा और आत्मरक्षा कौशल में सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों का आंकलन करना।

शोध विधि–

वर्तमान अध्ययन आगरा शहर में किया गया है। अध्ययन पूरी तरह से आगरा शहर की माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं से एकत्रित प्राथमिक डेटा पर आधारित है। प्राथमिक डेटा एक संरचित प्रश्नावली और अवलोकन विधि के माध्यम से एकत्र किया गया है। वर्तमान अध्ययन के लिए 15–17 वर्ष की आयु वर्ग की 60 माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का चयन किया गया है।

नमूना आकार का चयन–

आगरा शहर में सभी स्ट्रीम को मिलाकर करीब 30 माध्यमिक विद्यालय हैं। शोधकत्री ने नमूना चयन के लिए उद्देश्यपूर्ण कोटा नमूनाकरण पद्धति का इस्तेमाल किया है। शोधकत्री ने प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय से 15–17 वर्ष की आयु वर्ग की 2 छात्राओं का चयन किया है। इसलिए अध्ययन के लिए कुल 60 माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को लिया गया है।

परिकल्पना–

छात्राओं का आत्मविश्वास आत्मरक्षा के लिए उपयोगी है।

विश्लेषण के उपकरण–

एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण उपयुक्त सांख्यिकीय उपकरणों जैसे प्रतिशत, बार आरेख और काई स्क्वायर परीक्षण की मदद से किया जाता है।

परिणाम और चर्चाएँ

खंड 1. परिकल्पना परीक्षण

H0: छात्राओं का आत्मविश्वास आत्मरक्षा के लिए उपयोगी नहीं है।

H1: छात्राओं का आत्मविश्वास आत्मरक्षा के लिए उपयोगी

	YES	**NO**	
Not Usefu	**11**	**13**	**24**
Useful	**12**	**24**	**36**
Total	**23**	**37**	**60**

Observed numbers (O)
Expected numbers (E)

(E_1) =36X23 /60 = 13.80 **(E_2)=24X35 /60 = 9.20**
$(E_{1''})$=36X25 /60 = 22.20 **$(E_{2''})$=24X25 /60 = 14.80**

O	**E**	**O-E**	**$(O-E)^2$**	**$(O-E)^2/E$**
24	13.80	24 - 13.80	104.04	7.53
12	09.20	12 - 09.20	104.04	4.68
11	22.20	11 - 22.20	3.24	0.35
13	14.80	13 - 14.80	3.24	0.21

$\sum (O-E)2 /E = 12.77$

Degree of freedom = (c-1) (r-1) = (2-1) (2-1) = 1

X 2 0.05 at 1 degree of freedom = 3.84

इसलिए, x2 का परिकलित मान > x2 का सारणीबद्ध मान
इसलिए, शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।
इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्म–विश्वास आत्मरक्षा के लिए उपयोगी है।

खंड 2.

यह देखा गया है कि उत्तरदाताओं को बचपन से ही जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, तालिका–1 दर्शाती है कि अधिकांश उत्तरदाताओं यानी 60% को अपने घरों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनमें से अधिकांश यानी 35% उत्तरदाताओं को समाज में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनमें से कुछ को कॉलेज में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

तालिका–1. वे क्षेत्र जहां छात्राओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है

भेदभाव का क्षेत्र	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत%
घर पर	12	60
कॉलेज में	1	5
समाज में	7	35
कुल	**20**	**100**

स्रोत– प्राथमिक डेटा

ग्राफ नं.–1. लिंग भेदभाव का प्रतिशत

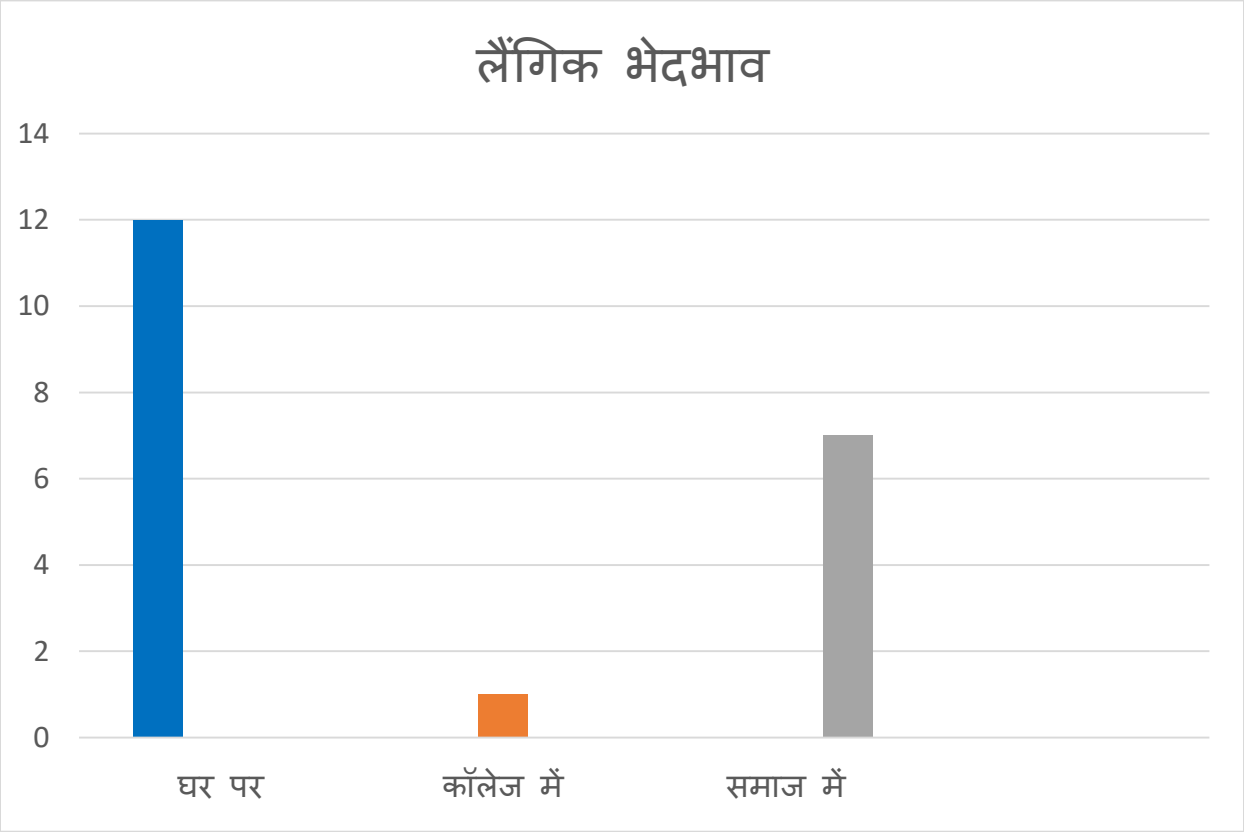

तालिका–2 में उत्तरदाताओं की ताकत और कमजोरियों को दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने पारिवारिक सहायता और शिक्षा को अपनी ताकत माना है। प्रभावी संचार कौशल और आत्मविश्वास भी उत्तरदाताओं की महत्वपूर्ण ताकत हैं। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का मानना है कि बहुत अधिक भावनात्मक होना और शारीरिक रूप से कमजोर होना उनकी प्रमुख कमजोरियाँ हैं।

तालिका–2. छात्राओं की ताकत और कमजोरियां

ताकत (Strengths)			कमजोरियों (Weaknesses)		
Type of Strength	**No- of Responses**	**Percentage %**	**Type of Weakness**	**No- of Responses**	**Percentage %**
प्रभावी संचार	40	20.41	शारीरिक कमज़ोरी	20	25.00
खुद पे भरोसा	38	19.39	भावनात्मक	35	43.75
शिक्षित होना	58	29.59	आत्म–विश्वास की कमी	15	18.75
परिवार का समर्थन	60	30.61	साहस की कमी	10	12.50
कुल	**196**	**100.00**	**कुल**	**80**	**100.00**

स्रोत प्राथमिक डेटा

हालाँकि छात्रायें विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही हैं, लेकिन उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने और निर्णय लेने के क्षेत्रों में काफी स्वतंत्रता भी प्राप्त है। हालाँकि, उन्हें गतिशीलता की तुलनात्मक रूप से कम स्वतंत्रता प्राप्त है जैसा कि तालिका–3 में देखा जा सकता है।

तालिका–3. छात्राओं को मिलने वाली आज़ादी

Type of Freedom	No- of Respondents	Percentage%
निर्णय लेना	40	37.04
अभिव्यक्ति	48	44.44
गतिशीलता	20	18.20
कुल	**100**	**100.00**

ग्राफ नं.–2. छात्राओं को मिलने वाली आज़ादी

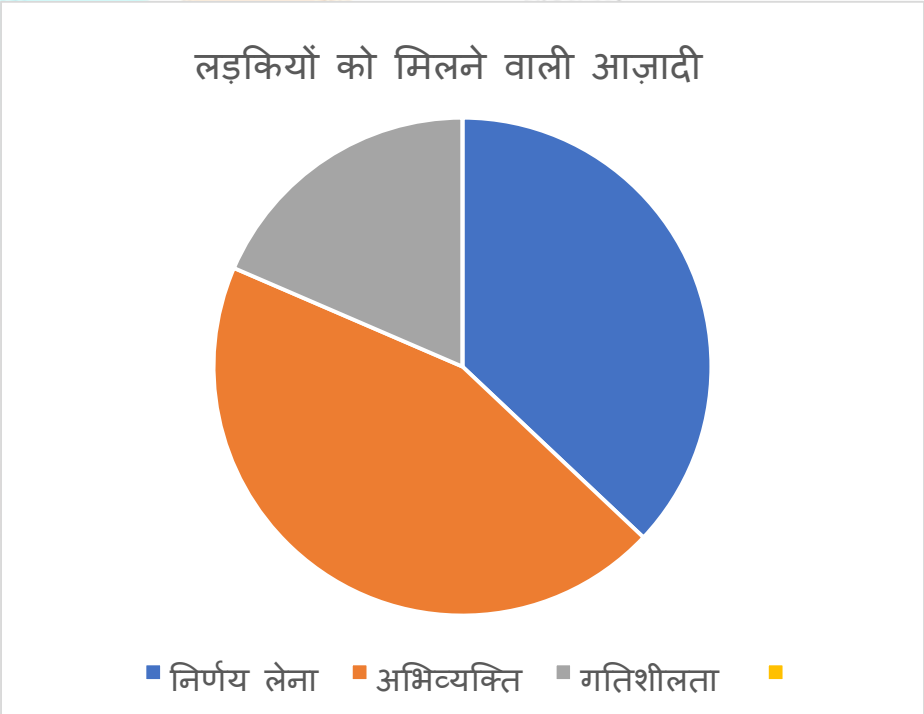

जब उनसे पूछा गया कि अगर वे खतरनाक/कमजोर स्थिति में फंस गए तो वे क्या कदम उठाएंगे, तो उनके जवाब तालिका–4 में दिखाए गए अनुसार थे। उनमें से अधिकांश अपनी आवाज़ उठाएंगे, मदद के लिए चिल्लाएंगे और आत्मरक्षा के लिए शारीरिक रूप से लड़ेंगे। उनमें से बहुत कम ने जवाब दिया कि वे आत्मरक्षा कौशल का उपयोग करेंगे जिसमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया है

तालिका–4. संवेदनशील परिस्थितियों में उत्तरदाताओं द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

क्रिया	No- of Respondents	Percentage%
आवाज़ उठाएँ और शारीरिक रूप से लड़ें	40	66.67
काली मिर्च स्प्रे का प्रयोग करें	10	16.67
सीखे हुए आत्मरक्षा कौशल का उपयोग करें	4	6.67
तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए सेल फ़ोन तकनीक का उपयोग करें	6	10.00
कुल	**60**	**100.00**

स्रोत– प्राथमिक डेटा

ग्राफ संख्या : 3 – संवेदनशील परिस्थितियों में उत्तरदाताओं द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

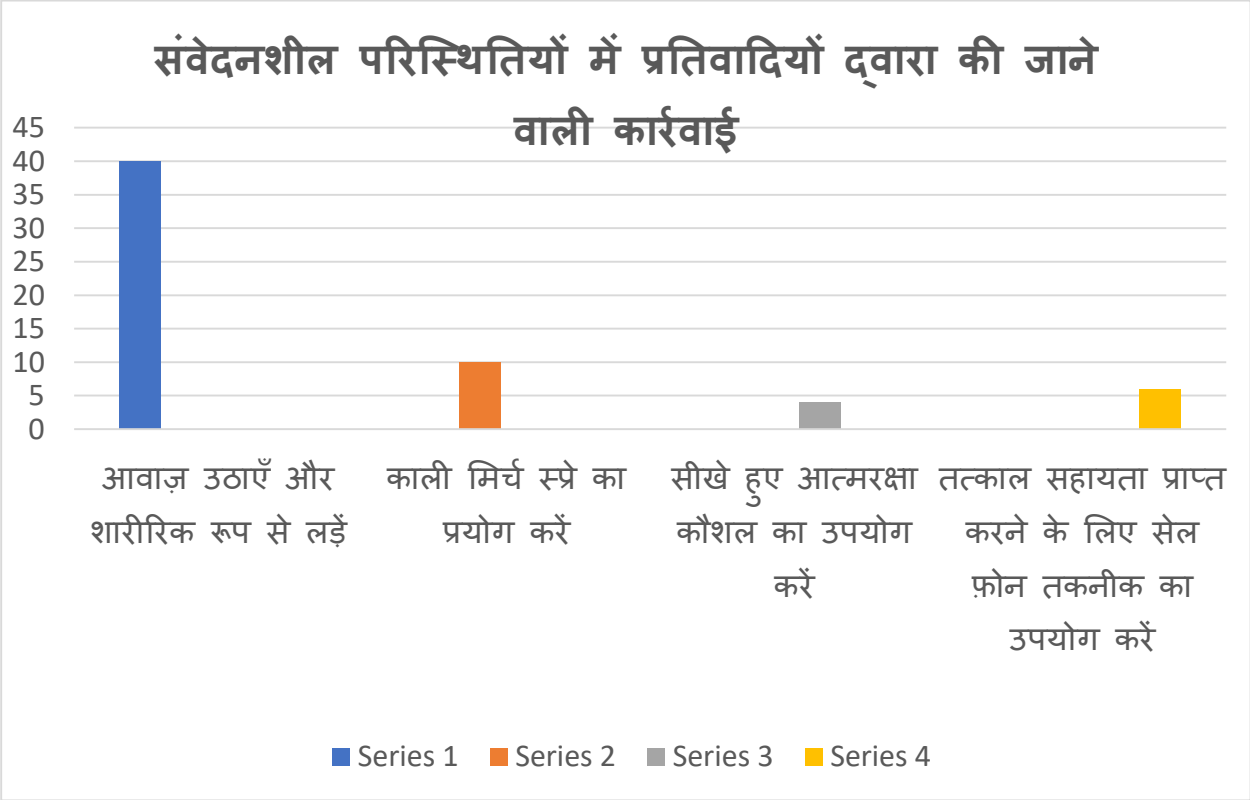

उत्तरदाताओं ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय सुझाए, जैसे कानूनी प्रावधान बनाना और वर्तमान अधिनियमों में संशोधन करना, आत्मरक्षा कौशल सीखना और छात्राओं की सुरक्षा और परामर्श के लिए विशेष रूप से एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट विकसित करना, जैसा कि तालिका–5 में दर्शाया गया है।

तालिका :5 – छात्राओं की सुरक्षा में सुधार के उपाय

विधि	No- of Respondents	Percentage%
विधायी प्रावधान और संशोधन	10	16.67
आत्मरक्षा कौशल सीखना	34	56.67
छात्राओं की सुरक्षा और परामर्श के लिए विशेष रूप से एक सोशल नेटवर्किंग साइट का विकास	16	26.67
कुल	**60**	**100.00**

स्रोत– प्राथमिक डेटा

सुझाव–

1– अध्ययन के आधार पर शोधकर्ता ने सुझाव दिया है कि छात्राओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव होना चाहिए। छात्राओं को उनके घरों और समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त करके बड़ा किया जाना चाहिए।

2– छात्राओं को अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपनी ताकत का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए।

3– यदि उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो छात्राओं को स्वयं अपनी आवाज उठानी चाहिए।

4– छात्राओं को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और आत्मरक्षा कौशल से भी खुद को लैस करना चाहिए।

निष्कर्ष–

यह स्पष्ट है कि किसी भी उम्र की छात्राओं सुरक्षित नहीं हैं। हालाँकि वे समान रूप से और कुछ मामलों में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक सक्षम हैं, लेकिन वे लिंग भेदभाव, हिंसा, यौन शोषण, लिंग रूढ़िवादिता आदि जैसी कई समस्याओं के कारण पिछड़ जाती हैं। उनकी अधिकांश समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है जब वे खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत और सक्षम बनें। आत्मविश्वास के साथ–साथ मौखिक और शारीरिक प्रतिरोध कौशल का निर्माण करने की भी आवश्यकता है ताकि उन्हें अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने और साथ ही उनके सशक्तिकरण में मदद मिल सके।

संदर्भ–

1– **मार्गर एम.एच., (1999).** ***सामाजिक असमानता. पैटर्न और प्रक्रिया***एँ. माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, लंदन. टोरंटो.मेफील्ड पब्लिशिंग कंपनी.

2– **मजूमदार, माया (2004).** ***भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति***, दिल्ली डोमिनेंटपब्लिशर्स और वितरक.

3– **एन. लिंग मूर्ति एट अल., (2007).** ***लैंगिक समानता की ओर– भारत का अनुभव.*** (संपादक) सीरियल प्रकाशन, नई दिल्ली

4– **मित्तल प्रकाशक (2007).** ***भारत में महिला विकास– समस्याएँ और संभावनाएँ,*** (सं.) लालनिहज़ोव, दिल्ली

5– **ब्लेज़ेव, एम., करबेगोविच, एम., बुरुसिक, जे., और सेलिमबेगोविच, एल. (2017).** ***पूर्व स्कूल की उपलब्धियों औरSTEM स्कूल विषयों में रुचि से लड़कों और लड़कियों के बीच लिंग & STEM रूढ़िबद्ध मान्यताओं की भविष्यवाणी करना।*** शिक्षा का सामाजिक मनोविज्ञान, 20(4), 831–847. कवप– 10.1007/s11218–017–9397–7.

6– **कोरेल, एस. जे. (2001).** ***लिंग और कैरियर चयन प्रक्रिया : पक्षपातपूर्ण आत्म–मूल्यांकन की भूमिका,*** अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, 106(6), 1691–1730, कवप–10.1086/321299।

7– **रेनहोल्ड, एस., होल्ज़बर्गर, डी., और सीडेल, टी. (2018).** ***विज्ञान में करियर को प्रोत्साहित करना : छात्रों के STEM अभिविन्यास पर माध्यमिक विद्यालयों के प्रभावों की एक शोध समीक्षा***, विज्ञान शिक्षा में अध्ययन, 54(1), 69–103।

8– **सियानी, ए., मैकआर्थर, एम., हिक्स, बी. सी., और डेसिन, सी. (2022).** ***माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में लिंग संतुलन और रोल मॉडल का प्रभाव,*** भौतिक विज्ञान के शिक्षण में नई दिशाएँ, 17(1)। doi: 10-29311/ndtps-v0i17-3939-

9– **केलियाट, बी. ए., टिनेके, ए. टी., नोवी हेलेना, सी., और एर्ना, ई. (2015).** ***पश्चिमी जावा इंडोनेशिया में किशोरों के बीच बदमाशी की रोकथाम के लिए मुखर प्रशिक्षण की प्रभावशीलता,*** इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग, 128–134।

10– **नूरी, आर. (2010).** ***आत्म–जागरूकता और सहानुभूति कौशल (छात्रों के लिए),*** तेहरान– टोलो दानेश प्रकाशन।

11– **रेक्लिन एलआर, उलमन एसई. (2005).** ***आत्मरक्षा या मुखरता प्रशिक्षण और यौन हमलों के प्रति महिलाओं की प्रतिक्रियाएँ।*** जे इंटरपर्स वायलेंस 2005;20: 738e62.

12– **बारबरा जी, कोलिनी एफ, कैटेनेओ सी, फैचिन एफ, वेर्सेलिनी पी, चियप्पा एल, कुस्टरमैन ए. (2017).** ***किशोरियों के खिलाफ यौन हिंसा : सामान्यीकरण से बचने के लिए इसे लेबल करना।*** जे विमेंस हेल्थ (लार्चमेट)। 2017 नवंबर; 26(11):1146-1149. doi: 10-1089/jwh-2016-6161- ईपब 2017 मार्च 20. पीएमआईडी– 28318356.